

2019/20042

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 32/प्रा०पत्र (रेस्टोरेशन)/19

फूलचन्द आ० हरलाल गुर्जर नि० गुराड़ी तहसील पचपहाड़ (प्रार्थी)
बनाम


राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़ (अप्रार्थी)

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार पचपहाड़ निर्णय दिनांक 30.11.2018
मिसल न० 1159/18

प्रा०पत्र रेस्टोरेशन

37/19

प्रा०पत्र रेस्टोरेशन अभिभाषक श्री तंवरसिंह झाला द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रा०पत्र मूल अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा व्यक्त किया कि न्यायालय हाजा द्वारा मूल अपील 03/19 दिनांक 08.07.2019 को अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज की गई थी जिस पर प्रार्थी को पुलिस द्वारा दिनांक 30.07.2019 को गिरफ्तार किया गया है व प्रार्थी जेल में बन्द है। प्रार्थी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है व पेनल्टी की राशि जमा करवा दी गई है। प्रा०पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार कर मूल अपील को दर्ज करने के आदेश फरमावें। हमने प्रस्तुत प्रा०पत्र व संलग्न पटवारी द्वारा तहसीलदार को सम्बोधित कब्जा छोड़ने की रिपोर्ट की तहसीलदार से प्रमाणित रिपोर्ट की जिसमें अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकन किया गया है का अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन से प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल अपील को दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा०पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फ़ैसल शुमार होकर मूल अपील के संलग्न हो।


जिला कलक्टर
झालावाड़